

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सिंचाई प्रकरण संख्या 05/2015(GCMS No. : 2015/00092)

मोहन लाल पुत्र श्री बगड़ावत राम, काश्तकार चक 70 एल एन पी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर
2. राजाराम पुत्र श्री खेताराम काश्तकार चक 70 एलएनपी तहसील
पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर



10.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को बार आवज़ लगाई गई, परन्तु वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

गत पेशी पर भी पक्षकारों को आवाज़ लगाने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ था। चूंकि उभयपक्षकारों को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए हैं और काफी समय से प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान् को उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर